युवा मामले और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 106

युवा मामले और खेल मंत्रालय

क. वस्लियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

				स्तविक 2010-2011 स्तिविक 2010-2011	1	-	बजट 2011-2012		ىند	शोधित 2011-2012	I	-	<i>')</i> इजट 2012-2013	कराड़ रुपए)
		मुख्य शीर्ष	आयोजना आयोजना	आयोजना-भिन्न	' जोड़		आयोजना-भिन्न	जोड़		आयोजना-भिन्न	जोड़		आयोजना-भिन्न	जोड़
		राजस्व	1602.26	119.20	1721.46	996.00	120.98	1116.98	881.95	106.00	987.95	1039.70	111.00	1150.70
		<i>पूंजी</i>	456.54	663.21	1119.75		0.02	4.02	2.05		2.05	1.30		1.30
		रू जोड़	2058.80	782.41	2841.21	1000.00	121.00	1121.00	884.00	106.00	990.00	1041.00	111.00	1152.00
			2030.00	702.41	2041.21	1000.00	121.00	1121.00	004.00	100.00	990.00	1041.00	111.00	1132.00
1.	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251		14.37	14.37		14.52	14.52		13.92	13.92		14.52	14.52
	युवा सेवाएं													
युवा	- कल्याण योजनाएं													
2.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	91.74	29.50	121.24	93.90	29.50	123.40	93.37	29.50	122.87	94.00	29.50	123.50
3.	राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	8.95	4.20	13.15	17.75	4.56	22.31	12.77	5.02	17.79	11.65	5.36	17.01
		3601	65.73	2.23	67.96	62.80	2.31	65.11	52.80	1.85	54.65	60.00	1.51	61.51
		3602	0.39		0.39	0.45		0.45	0.35		0.35	0.35		0.35
		जो.ड	75.07	6.43	81.50	81.00	6.87	87.87	65.92	6.87	72.79	72.00	6.87	78.87
4.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601		2.67	2.67		2.67	2.67		2.67	2.67		2.00	2.00
5.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	2204	22.99		22.99	20.20	0.50	20.70	18.53		18.53	18.20		18.20
		3601	3.30		3.30	2.30		2.30	1.97		1.97	2.30	•••	2.30
		जोड़	26.29		26.29	22.50	0.50	23.00	20.50		20.50	20.50		20.50
6.	युवा होस्टल	2204	0.15		0.15	1.00		1.00	0.45		0.45	0.70		0.70
		4202	3.89		3.89	3.50		3.50	1.55		1.55	1.10		1.10
		<i>जोड़</i>	4.04		4.04	4.50		4.50	2.00		2.00	1.80		1.80
7.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2204	9.00	0.90	9.90	9.90	0.90	10.80	9.90	0.90	10.80	18.00	0.90	18.90
8.	स्काउट और गाइड	2204	2.00		2.00	2.00		2.00	1.00		1.00	1.50		1.50
9.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2204	1.63	0.78	2.41	3.50	0.85	4.35	12.15	0.85	13.00	5.00	0.85	5.85
10.	संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवियों को अंशदान	2204					0.10	0.10					0.10	0.10
11.	राष्ट्रीय युवा कोर	2204	33.25		33.25	30.00		30.00	27.20		27.20	37.20		37.20
		3601	12.73	•	12.73	22.20		22.20	16.43		16.43	20.00	•••	20.00
		जो.ड	45.98		45.98	52.20	···	52.20	43.63	•••	43.63	57.20	•••	<i>57.20</i>
12.		2204				0.50		0.50						
जोड़-	युवा कल्याण योजनाएं		255.75	40.28	296.03	270.00	41.39	311.39	248.47	40.79	289.26	270.00	40.22	310.22

			वास्तविक 2010-2011 बजट 2011-2012 संशोधित 2011-2012										(करो. बजट 2012-2013		
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
क्रीड़ा	और खेलकूद	_3													
13.	भारतीय खेल प्राधिकरण	2204	347.01	49.42	396.43	235.90	51.90	287.80	235.90	40.17	276.07	258.00	44.39	302.39	
14.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	30.00	9.63	39.63	15.00	9.63	24.63	15.00	8.87	23.87	15.00	8.87	23.87	
<i>15.</i>	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन														
	15.01 पुरस्कार	2204	33.99		33.99	4.00		4.00	14.00		14.00	5.00		5.00	
	15.02 सराहनीय कार्य हेतु पेंशन (नया)	2204	30.25	•••	30.25	2.00		2.00	3.50		3.50	2.00		2.00	
	जोड़- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन		64.24		64.24	6.00		6.00	17.50		17.50	7.00		7.00	
<i>16.</i>	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन	सहायता													
	16.01 राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	2204	81.19	2.97	84.16	100.00		100.00	100.00		100.00	110.00		110.00	
	16.02 प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना	2204	7.00		7.00	8.00		8.00				0.50		0.50	
	जोड़- खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए प्रोत्स	नाहन सहायता	88.19	2.97	91.16	108.00		108.00	100.00		100.00	110.50		110.50	
<i>17.</i>	राष्ट्रमंडल खेल 2010														
	17.01 भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई स्टेडियमों का नवीकरण) 2204	274.72		274.72	0.10		0.10				0.50		0.50	
		3601					•••			•••			•••		
		जो.ड	274.72	•••	274.72	0.10		0.10				0.50	·	0.50	
	17.02 अखिल भारतीय टेनिस संघ	2204	0.30		0.30										
	17.03 टीमें तैयार करना	2204	27.07	•••	27.07										
	17.04 स्थल का उन्नयन/सृजन	2204	35.38		35.38		•••			•••			•••		
	17.05 अतिरिक्त भार (एसएआई, एआईटीए और भारतीय ओलंपिक संघ)	र 6202	431.40	663.21	1094.61		0.01	0.01							
	(आयोजना समिति)														
	17.06 उपस्कर और खेल स्टेडियमों की सज्जा	4202	21.25		21.25	•••	•••							•••	
	17.07 एचडी टेलीविजन मुहैया कराने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लिए वर्धनशील अवसंरचना	2204	82.00		82.00										
	जोड़- राष्ट्रमंडल खेल 2010		872.12	663.21	1535.33	0.10	0.01	0.11				0.50		0.50	
18.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2204	20.00		20.00							5.00		5.00	
19.	डोपिंग रोधी गतिविधियां														
	19.01 राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	2204	11.50		11.50	12.00		12.00	2.50		2.50	2.50		2.50	
	19.02 राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी	2204	2.00		2.00			2.00	0.50		0.50	1.00		1.00	
	19.03 विश्व डोप रोधी एजेंसी	2204	0.42		0.42			0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	
	जोड़- डोपिंग रोधी गतिविधियां		13.92		13.92	14.50	•••	14.50	3.50	•••	3.50	4.00		4.00	

		·	•			1			•			1		करोड़ रुपए)
			वार	स्तविक 2010-2011	l	7	बजट 2011-2012		संः	शोधित 2011-2012		-	बजट 2012-2013	
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20.	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	2204	143.72		143.72	105.00	•••	105.00	53.00		53.00	55.00		55.00
		3601	206.24		206.24	99.99	•••	99.99	92.87		92.87	159.50		159.50
		3602				0.01		0.01	0.01		0.01	0.50		0.50
		जो,ङ	349.96		349.96	205.00		205.00	145.88		145.88	215.00		215.00
21.	विकलांगों में खेल संवर्धन	2204	5.96		5.96	4.50		4.50	3.85		3.85	5.00		5.00
22.	खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण निधि	2204		1.00	1.00		1.40	1.40		0.35	0.35		1.00	1.00
23.	अर्जुन पुरस्कार	2204		0.92	0.92		1.10	1.10		1.10	1.10		1.10	1.10
24.	ध्यानचंद पुरस्कार	2204		0.16	0.16		0.20	0.20		0.20	0.20		0.20	0.20
25.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	2204		0.29	0.29		0.32	0.32		0.32	0.32		0.32	0.32
26.	एनसीसी/सरकारी रिहायशी विद्यालयों को	2204					0.10	0.10		•••			0.10	0.10
	शारीरिक शिक्षा अनुदान													
27.	शहरी खेल अवसंरचना योजना	2204	2.50		2.50	10.00	•••	10.00	14.50	•••	14.50	14.50		14.50
		3601	12.50		12.50	24.99	•••	24.99	5.51	•••	5.51	15.49		15.49
		3602				0.01	•••	0.01	5.49	•••	5.49	0.01		0.01
		जो.ड	15.00	•••	15.00	35.00		35.00	25.50	•••	25.50	30.00	•••	30.00
28.	खेल विज्ञान और खेल औषधि के राष्ट्रीय संस्थान	2204					•••					5.00		5.00
29.	राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान	2204					•••					5.00		5.00
30.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु टीमों की तैयारी की योजना	2204										1.00		1.00
31.	राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम –	2204	***									5.00		5.00
	एल.एन.यू.पी.ई., ग्वालियर स्थित संसाधन केंद्र													
32.	अन्य पूंजी व्यय	4202					0.01	0.01		•••				
जोड़-	क्रीड़ा और खेलकूद		1806.40	727.60	2534.00	624.00	64.67	688.67	547.13	51.01	598.14	666.00	55.98	721.98
जोड़-खेल	और युवा सेवाएं		2062.15	767.88	2830.03	894.00	106.06	1000.06	795.60	91.80	887.40	936.00	96.20	1032.20
33.	अन्य कार्यक्रम	2204		0.18	0.18		0.42	0.42		0.28	0.28		0.28	0.28
34.	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाः प्रावधान	ओं/स्कीमों हेतु												
	34.01 नेहरू युवा केंद्र संगठन	2552				11.10	•••	11.10	11.10	•••	11.10	11.00		11.00
	34.02 राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	2552				2.50		2.50	2.50		2.50	2.50		2.50
	34.03 युवा छात्रावास	4552	•••			0.50		0.50	0.50		0.50	0.20		0.20
	34.04 राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2552				1.10		1.10	1.10		1.10	2.00		2.00
	34.05 राष्ट्रीय सेवा योजना	2552				9.00	•••	9.00	5.53		5.53	8.00		8.00
	34.06 राष्ट्रीय युवा कोर	2552				5.80		5.80	5.80		5.80	6.30		6.30
	34.07 भारतीय खेल प्राधिकरण	2552				15.00		15.00	15.00		15.00	30.00		30.00
		•						•			•			

				-तविक 2010-2011			ਭਰਟ 2011-2012		l 	शोधित 2011-2012		l _	•	करोड़ रुपए)
		a a.		-तावक 2010-201 आयोजना-भिन्न	। जोड		आयोजना-भिन्न	जोड		शाधत २०११-२०१२ आयोजना-भिन्न	जोड		जट 2012-2013 आयोजना-भिन्न	
	34.08 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयाजना-।मन्न	সাহ	आयोजना	आयाजना-ामन्न	সাহ	आयोजना	आयाजना-ामन्न	সাহ	आयोजना	आयाजना-ामन्न	जोड़
	34.08.01 पुरस्कार	2552												
	34.08.02 सराहनीय कार्य हेतु पेंशन (नया)	2552												
	जोड़- खिला <u>ड़ि</u> यों को प्रोत्साहन						•••						•••	
	34.09 खेल में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन के लिए	ए सहायता												
	34.09.01 प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना	2552	•••			2.00		2.00	2.00		2.00	•••		
	34.10 राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशाला	2552				3.00		3.00		•••				
	34.11 विकलांगों में खेलों को प्रोत्साहन	2552				1.00		1.00	0.55	•••	0.55			
	34.12 लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2552	•••			15.00		15.00	10.00		10.00	15.00		15.00
	34.13 राष्ट्रीय खेल विकास निधि	2552				5.00		5.00						
	34.14 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)	2552				20.00		20.00	19.32		19.32	20.00		20.00
	34.15 शहरी खेल अवसंरचना योजना	2552				15.00		15.00	15.00	•••	15.00	10.00		10.00
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियं	ोजनाओं/स्कीमों				106.00		106.00	88.40		88.40	105.00		105.00
	हेतु प्रावधान													
35.	वास्तविक वसूलियां	2204	-3.35	-0.02	-3.37					•••			•••	
		2251	•••	•••						•••			•••	
		जो,ङ	<i>-3.35</i>	-0.02	-3.37		•••					•••		
कुल जोड़			2058.80	782.41	2841.21	1000.00	121.00	1121.00	884.00	106.00	990.00	<i>1041.00</i>	111.00	1152.00
		विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
			-											
ग. योजन	ना परिव्यय													
1.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	2058.80		2058.80	894.00		894.00	795.60		795.60	936.00		936.00
2.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251		•••						•••				
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552				106.00		106.00	88.40		88.40	105.00		105.00
जोड़			2058.80		2058.80	1000.00		1000.00	884.00		884.00	1041.00		1041.00

1. **सचिवालय समाज सेवा:** सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है |

2. **नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एन वाई के एस):** मंत्रालय के अधीन नेहरु युवा केन्द्र संगठन निकाय जमीनी वास्तविकता से जुड़ा हुआ विशालतम गैर-सरकारी संगठन है जो 2.58 मिलियन समुदाय आधारित युवा क्लबों के माध्यम से नामित किए गए 13-35 आयु समूह के 8 मिलियन से अधिक गैर-विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है | यह गैर-

विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के क्षेत्र में प्रमुख प्रेरणादायक व विकास गतिविधियों के लिए सरकारी कार्यान्वयन निकाय के रुप में कार्य करता है ।

नेहरु युवा केन्द्र संगठन के अब 46 क्षेत्रीय कार्यालय व 28 मंडल कार्यालय हैं जो देश के 501 जिलों में कार्य कर रहे हैं | इसकी गतिविधियों को शेष 122 जिलों में विस्तार किया जा रहा है तथा महानिदेशक, ने.यु.कें.सं. को इन जिलों का भार निकटवर्ती जिला युवा समन्वयकों को सौंपने के लिए निदेश दिए हैं, ताकि सभी 623 जिलों में कार्यक्रम/क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया जा सकेगा।

- 3. **राष्ट्रीय सेवा योजना:** राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थी युवाओं के चिरत्र और व्यक्तित्व का विकास करना है | योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से तथा एन0एस0एस0 का संचालन विश्वविद्यालय/कॉलेज तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्कूल स्तर पर किया जाता है | एन0एस0एस0 का लक्ष्य विद्यार्थियों की सामाजिक चेतना को जगाना तथा उन्हें गांवों व मिलन बस्तियों के लोगों के साथ कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराना है | योजना पर होने वाला व्यय भारत सरकार और राज्य के मध्य बांट लिया जाता है तथा जम्मू व कश्मीर सरकार तथा केन्द्र शासित प्रशासनों, जहां विधान मंडल नहीं हैं, पूरे व्यय की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, एन0एस0एस0 के दो प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात इसके स्वयं-सेवकों द्वारा की जा रही "नियमित गतिविधियां" और "विशेष शिविर कार्यक्रम" |
- 4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना:** योजना के तहत पूर्ववर्ती राष्ट्रीय फिटनेस कॉर्प्स स्कीम के अंतर्गत एनडीएस अनुदेशकों के वेतन तथा भत्तों के व्यय और अन्य आकस्मिक व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है |
- 5. **युवाओं और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाइएडी):** यह एक संयुक्त योजना है जो 10वीं योजनाविध के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की चार 100% केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान प्राप्त योजनाओं नामत: युवा गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, साहस का संवर्धन तथा किशोरों का विकास और अधिकारिता को मिलाकर तैयार की गई थी | इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली योजनाओं की संख्या को कम करना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एकरुपता सुनिश्चित करना, फील्ड स्तर पर धन की उपलब्धता में विलम्ब को रोकना तथा परियोजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में राज्य सरकार की संस्थागत सहभागिता को सुनिश्चित करना है | बेहतर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा निधियों के अधिकतम सकारात्मक उपयोग के लिए भी प्रत्येक घटक के लिए पृथक प्रावधान करने के बजाय समेकित बजट का प्रावधान है | इससे परिचालन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम करने में सहक्रियाशीलता और समाभिरुपता होगी | इस योजना की भावना के अनुसार इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी युवा और किशोर हैं |
- 6. **युवा छात्रावास:** युवा छात्रावास देश के युवाओं की यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं | युवा छात्रावासों के निर्माण की परिकल्पना केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में की गई है | केन्द्र सरकार युवा छात्रावासों के निर्माण की लागत वहन करती है | निर्माणाधीन युवा छात्रावासों के व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया है

- 7. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान:** इसकी स्थापना 1983 में श्रीपेरम्बुदूर (तिमलनाडु) में सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय के रुप में की गई थी और यह सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह देश में युवाओं से संबंधित प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन और सभी गतिविधियों के विस्तार के लिए जिम्मेदार है | वर्ष 2008 में इसे उन्नत कर समकक्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है | इसे राष्ट्रीय महत्व का केंद्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।
- 8. **स्काउटिंग और गाइडिंग:** यह प्रावधान भारत स्काउट्स और गाइड्स की विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण शिविरों, कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु है |
 - 9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह प्रावधान युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए है |
- 10. **संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवकों के लिए अंशदान:** यह प्रावधान संयुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के लिए अंशदान करने के लिए है |
- 11. **राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स**: इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना और राष्ट्रीय सदभावना योजना को मिला कर तैयार किया गया है। योजना का लक्ष्य पूर्णकालिक आधार पर विशिष्ट अविध के लिए राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को स्वैच्छिक आधार पर शामिल करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है | यह प्रावधान स्वयंसेवकों के स्टाइपेन्ड, बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा भत्ता के लिए है। उपर्युक्त स्कीम को परिवर्तित करके इसे राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स का नाम दिया गया है।
- 12. **राष्ट्रीय युवा केंद्र और क्षेत्रीय युवा केंद्र:** चूंकि इस योजना पर काम बाकी है, अत: वर्तमान वित्त वर्ष में इसके लिए कोई प्रावधान नही रखे गये है।
- 13. **भारतीय खेल प्राधिकरण:** भारत सरकार ने 1984 में भा.खे.प्रा. की स्थापना की थी जिसके दो लक्ष्य विभिन्न आयु-समूहों के बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना तथा सहायक उपकरण, कोचिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है | भा.खे.प्रा. दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के दौरान निर्मित/नवीनीकृत किए गए स्टेडियमों के रखरखाव और उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है|

राष्ट्रमंडल खेल, 2010, दिल्ली के संदर्भ में स्टेडियमों के उन्नयन/नवीकरण के अतिरिक्त अवसंरचना सहायता प्रदान करने तथा तथा एथलीटों की तैयारी में भा.खे.प्रा. की महत्वपूर्ण भूमिका थी |

14. **लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान:** लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 1957 में ग्वालियर में स्थापित किया गया था और इसे 1995 में "समकक्ष विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था | अब लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है | संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है जो कि पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है |

- 15. **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन:** स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर और विश्वविद्यालय/कालेज स्तर के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है | उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं | ओलंपिक, विश्व कप और विश्व चैम्पियनिशपों के पदक विजेताओं तथा एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा-ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को पेंशन दी जाती है | एथलीट के सक्रिय खेलों से संन्यास के बाद 30 वर्ष की आयु से जीवनपर्यंत के लिए पेंशन दी जाती है | ग्रामीण खेल कार्यक्रम को नए आरंभ किए गए पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान में मिला दिया गया है |
- 16. **खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता:** मंत्रालय मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विदेश में प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय टूनामेंटों में भाग लेने, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने और खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है | कोचिंग शिविर आयोजित करने, राष्ट्रीय टीम की तैयारी और विदेशी कोचों की सेवाएं लेने के लिए भा.खे.प्रा. के माध्यम से भी वित्तीय सहायता दी जाती है |
- 18. **राष्ट्रीय खेल विकास निधि:** सामान्य रुप से खेलों के संवर्धन तथा विशेष रुप से खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए यह एक स्थायी निधि है | यह स्कीम सार्वजनिक- निजी सहभागिता पर आधारित है तथा भारत सरकार अन्य स्रोतों से प्राप्त योगदान की तुलना में समतुल्य योगदान देती है |
- 19. **डोप विरोधी गतिविधियां:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय डोप-परीक्षण प्रयोगशाला तथा राष्ट्रीय डोप-विरोधी एजेंसी की स्थापना पर हुए व्यय तथा अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे विश्व डोप विरोधी एजेंसी में योगदान देने हेतु व्यय को वहन करने के लिए है |
- 20. **पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान:** यह योजना ग्राम तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर मूलभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है | इसके अलावा, यह योजना जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा खेल उपस्करों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है | इसमें पुरस्कार राशि प्रदान करने तथा खेल स्वयंसेवकों (क्रीड़ाश्री) को कम छात्रवृत्ति देने का भी अल्प प्रावधान है |
 - 21. अक्षम व्यक्तियों में खेलों का संवर्धन: अक्षम व्यक्तियों में खेलों के संवर्धन का प्रावधान है |
- 22. **खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि:** खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि प्रदान करने का प्रावधान है |
- 23. **अर्जुन पुरस्कार:** विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है ।

- 24. **ध्यानचंद पुरस्कार:** जीवनपर्यंत उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है |
- 25. **द्रोणाचार्य पुरस्कार:** यह पुरस्कार उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है |
- 26. **एनसीसी/पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूलों को शारीरिक शिक्षा संबंधी अनुदान:** एनसीसी कैम्पों के आयोजन हेतु अनुदान का प्रावधान है |
- 27. **शहरी खेल अवसंरचना स्कीम:** इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों विशेषकर छोटे कस्बों और उनमें भी गरीब क्षेत्रों में मूलभूत खेल अवसंरचना प्रदान करना है |
- 28. **राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान:** वर्तमान समय में देश में खेल विज्ञान और खेल औषधि के क्षेत्र में कोई संस्थागत संरचना मौजूद नहीं है। इस विषमता को संबोधित करने हेतु नई दिल्ली में खेल विज्ञान और खेल औषधि का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जाता है।
- 29. **राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान:** देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणी प्रशिक्षण बनाने और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पूर्णतावादी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने पटियाला में प्रशिक्षण शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन आई एस), पटियाला को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) से अलग करने का निर्णय लिया।
- 30. अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु टीमों की तैयारी की योजना: सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु टीमों की तैयारी योजना नामक एक नयी योजना प्रस्तावित है जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु भारतीय टीमों की तैयारी योजना की तर्ज पर होगी।
- 31. **राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम एल.एन.यू.पी.ई., ग्वालियर स्थित संसाधन केंद्र:** भारत में कोई स्तरीय (विश्वसनीय तथा वैध) माध्यम नहीं है, जिससे भारत में संपूर्ण राष्ट्र की शारीरिक फिटनेस का निर्धारण किया जा सके। अत: सभी श्रेणियों के पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस मानक विकसित करने की आवश्यकता है। एक निर्धारण मानदंड विकसित करने की भी आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम इन मुद्दों को संबोधित करेगा और दोनों लिंगों हेतु सभी आयु वर्गों हेतु राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस मानकों को विकसित करेगा । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय (एल एन यू पी ई), ग्वालियर द्वारा एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो ज्ञान केंद्र तथा शारीरिक फिटनेस के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

33. **अन्य कार्यक्रम:** मंत्रालय के सेमिनार, बैठकों आदि के प्रबंध के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान है |